न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 143/2025 तारीख रजू:— 09.07.2025

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर
R.A.S.

1. दीपचन्द
2. पप्पूराम
3. रामेश्वर

पिसरान रामकिशन जाति जाटव,
निवासी ग्राम सूरौठ, तहसील सूरौठ
जिला करौली राजस्थान। —सायलान

बनाम

1. सुगनबाई पत्नि मंगतीराम जाति जाटव निवासी ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली
2. विजेन्द्र पुत्र पूरनमल जाति जाटव निवासी ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली
3. घनश्याम पुत्र पूरनमल जाति जाटव निवासी ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली
4. मुकेश पुत्र पूरनमल जाति जाटव निवासी ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली
5. श्रीमती पुष्पा आयु 50 साल पुत्री पूरनमल पत्नि भगवानसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम सूरौठ हालनिवासी ग्राम किरवाडा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदारजी तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान।

—गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी

उपस्थित :—1. सीताराम गुर्जर एडवोकेट सायलान
2. नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट गैरसायल सं01, 4

निर्णय

दिंनाक :— 27.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि भूमि खाता संख्या नया 897, पुराना खाता संख्या 823 आराजीयात खसरा नम्बर 2242 रकवा 0.35 हैक्टेयर किस्म नहरी–2, खसरा नम्बर 2243 रकवा 0.42 हैक्टेयर, किस्म नहरी–2, कुल कित्ता 2 कुल रकवा 0.77 हैक्टेयर ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली (राज०) में स्थित है जिसमें प्रत्येक सायलान का 1/6–1/6–1/6 हिस्सा व गैरसायल नं० 1 का 1/4 हिस्सा व गैरसायल संख्या 2 लगायत 5 की माता मृतका लक्ष्मी देवी पत्नि पूरनमल का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं० 02 प्रार्थनापत्र पक्षकारान् मुकदमा सायलान व गैरसायलान की सहखातेदारी व कब्जेकाश्त उपभोग–उपभोग की भूमि है, कि जिस पर पक्षकारान् मुकदमा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज अपने–अपने हिस्सेअनुसार बाहमी बटवारे के आधार पर काबिज होकर बदस्तूर कास्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, परन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार लक्ष्मी देवी पत्नि पूरनमल का अर्सा करीब एक वर्ष पूर्व देहावसान हो गया है, गैरसायल संख्या 2 लगायत 5 मृतका लक्ष्मी देवी के वारिसान एवं कायम मुकामान है कि जो उसके तर्क पर काबिज व दखिल है इसलिये उन्हें प्रार्थनापत्र हाजा में पक्षकार मुकदमा गैरसायलान बनाया गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं. 02 प्रार्थनापत्र पक्षकारान् की सहखातेदारी व कब्जेकास्त की भूमि है कि जो आबादी व सडक के नजदीक बेशकीमती भूमि होने से कास्त व उपयोग–उपभोग के समय हिस्सा व डौलमेड को लेकर, भूमि के उपयोग–उपभोग बाबत पक्षकारान् के मध्य आये दिन वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि सायलान की ओर से वादपत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अन्तरिम रिलीफ के लिये सायलान की ओर से निवेदन नहीं किया गया, क्योंकि गैरसायलान ने राजीनामें के आधार पर अलग–अलग खातेदारी कराने का आश्वासन दे दिया था।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि सायलान ने दिनांक 07.07.2025 को उक्त आराजीयात वर्णित मद नम्बर 02 प्रार्थनापत्र का अविलम्ब ही तहसील सूरौठ में चलकर विधिवत विभाजन कराने व लगान का अलग–अलग निर्धारण कराने के लिये गैरसायलान से कहा तो गैरसायलान आनाकानी करने लगे व बार–बार कहने पर गैरसायलान ने उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत विभाजन कराने से साफ इंकार कर दिया व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान बिना विधिवत बटवारा/विभाजन कराये भूमि को कृषि से अकृषि कार्य में परिवर्तित करने एवं भूमि की मौका स्थिति को बदलने पर आमादा है. गैरसायलान ने सायलान को आराजीयात से बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा करने व दीगर लोगो को रहन वय करने की धमकी दी है और कहा है कि हमने बाहुवली व पैसे वाले लोगो से भूमि बेचान का करार कर लिया है, शीघ्र ही सायलान को उक्त लोगो के द्वारा बेदखल करवाकर उनका कब्जा करवायेंगे। गैरसायलान ने सायलान की हकूक खातेदारी को भी इंकार कर दिया है। सायलान को यह पूरा–पूरा अंदेशा हो गया है, कि गैरसायलान कभी भी सायलान के हक क–हकूक हकूक को प्रभावित कर सकते है, अगर गैरसायलान अपने उक्त मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तणीय क्षति पहुँचेगी, जिसकी क्षतिपूर्ति होना किसी भी भांति संभव नहीं हो सकेगी, इसलिये प्रार्थनापत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान पेश करना आवश्कीय हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केश, व सुविधा का संतूलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की की आराजीयात खसरा नम्बर 2242 रकवा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2243 रकवा 0.42 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकवा 0.77 हैक्टेयर ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली (राज०) में सायलान के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, भूमि को सायलान को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, भूमि से वादी को बेदखल नहीं करे, एवं उक्त भूमि को बिना विधिवत विभाजन कराये दीगर व्यक्ति को रहन वय नहीं करें। कोई कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करें। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, ताकी सायलान के हक हकूको की हकतल्फी नहीं हो, गैरसायलान भूमि के रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाऐ रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं01 व 4 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के पैरा–1 में दर्ज तथ्य में से सायलान द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा हाजा विधि विरुद्ध रूप से कमजोर आधारों पर पेश करना स्वीकार है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के पैरा–2 में वर्णित खाता सं. 897 की भूमि खसरा नं. 2242 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नं. 2243 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

0.42 हेक्टेयर, कुल किता–2 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर स्थित ग्राम सूरौठ में स्थित होना एवं प्रत्येक सायलान का उक्त आराजी में 1/6–1/6 हिस्सा होना, गैरसायल सं. 1 का 1/4 हिस्सा होना एवं गैरसायल सं. 2 लगायत 5 की मृतक माता लक्ष्मी का 1/4 हिस्सा होना स्वीकार है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के पैरा–3 में वर्णित आराजी सायलान व गैरसायल सं. 1 ता 5 की सहखातेदारी व कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की भूमि होना स्वीकार है. जिस पर बाहमी बंटवारे के आधार पर हिस्सा अनुरूप पक्षकारान काबिज व दखील हैं. उक्त आराजी का विधिवत विभाजन सायलान द्वारा ही अपनी इच्छा से नहीं करवाया जा रहा है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के पैरा–4 में दर्ज तथ्य स्वीकार हैं।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के पैरा–5 में दर्ज तथ्य गलत हैं स्वीकार नहीं है, सायलान व गैरसायलान 1 ता 5 के बीच विवादित आराजी की डोल मेड को लेकर भूमि के उपयोग उपभोग को लेकर कभी कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं रही है और ना ही आज है. आज भी गैरसायल सं. 1 ता 5 उक्त संयुक्त आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विधिक बंटवारा करवाने के लिए तैयार है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के पैरा–6 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार दर्ज किये हैं। गलत है स्वीकार नहीं है. सायलान द्वारा हस्तगत वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया था, यदि सायलान को अन्तरिम रिलीफ की आवश्यकता ही नहीं थी तो उनके द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में क्यों कर पेश किया जाता, सही व सत्य तथ्य यह है कि सायलान द्वारा दावा हाजा के साथ प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा उन्हें अन्तरिम स्थगन जारी नहीं करने पर, हस्तगत प्रार्थनापत्र विधि विरुद्ध रूप से प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के विचाराधीन रहते धारा–151 जा. दी. का सहारा लेकर पेश कर अन्तरिम स्थगन प्राप्त किया है, गैरसायल 1 ता 5 पहले भी विधिवत बंटवारा करवाने के लिए तैयार व तत्पर थे और आज भी तैयार व तत्पर हैं।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के पैरा–7 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार तहरीर किए हैं गलत है स्वीकार नहीं है, दिनांक 07.07.25 को या अन्य किसी दिन गैरसायल सं. 1 ता 5 से सायलान की उक्त मद में वर्णित कोई बातचीत नहीं हुई, उक्त मद में वर्णित समस्त तथ्य सायलान द्वारा महज मुकदमा हाजा करने के लिए झूठे व असत्य दर्ज किए हैं, मुकदमा हाजा में विवादित आराजी में गैरसायल सं. 1 ता 5

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रिकॉर्डेड खातेदार हैं जिन्हें विधिक रूप से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना निषेधित है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि मुकदमा हाजा में सायलान का कोई प्राइमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन या अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू उनके पक्ष में साबित नहीं है।

उज्जात मजीद

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि मुकदमा हाजा में विवादित आराजी खसरा नं. 2242 व 2243 स्थित ग्राम सूरौठ, तहसील सूरौठ के गैरसायल सं. 1 एवं गैरसायल सं 2 ता 5 की माँ लक्ष्मीबाई रिकॉर्डेड खातेदार हैं जिन्हें विधिक रूप से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने से उनके खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग में अवरोध पैदा होता है, खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना विधिक रूप से अनुज्ञेय नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा धारा–151 जा.दी. के विधिक प्रावधानों का गलत रूप से परिशीलन कर विधि विरूद्ध रूप से जाब्ता दीवानी के आदेश–39 नियम–1. 2 में अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए स्पेसिफिक प्रावधान होते हुए भी एवं उक्त प्रावधान का वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पेश करने में सायलान द्वारा उपयोग करके भी हस्तगत प्रार्थनापत्र विधि विरुद्ध रूप से पेश कर दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं. 1 ता 5 विवादित आराजी के विधिवत बंटवारा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार करवाने के लिए दावा दायरी से पूर्व भी तैयार व तत्पर थे और आज भी तैयार व तत्पर हैं, श्रीमान् चाहें तो आज ही मूल वाद की पत्रावली तलब कर, उक्त वाद में विवादित आराजी के संबंध में सायलान के वाद को प्राथमिक डिकी कर, बंटवारा स्कीम तलब कर, फाइनल डिकी पारित कर, पक्षकारान के विवाद का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जावे, विवादित आराजी के संबंध में स्थगन आदेश पारित करके खातेदार के खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग में न्यायालय आदेश को अवरोधक नहीं बनावें, सायलान द्वारा गैरसायल के बंटवारा हेतु तैयार व तत्पर होते हुए भी विधि विरूद्ध रूप से गलत अभिवचन दर्ज कर हस्तगत प्रार्थनापत्र विधि विरूद्ध रूप से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र धारा–151 सीपीसी सायलान मय हर्जा खर्चा खारिज, फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2242 रकबा 0.35 है0, 2243 रकबा 0.42 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी दीपचन्द पुत्र रामकिशन हि0 1/6, पप्पू पुत्र रामकिशन हि0 1/6, रामेश्वर पुत्र रामकिशन हि0 1/6, लक्ष्मीदेवी पत्नि पूरनमल हि0 1/4, सुगनबाई पत्नि मंगतीराम हि0 1/4 जातियान जाटव सा0ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2242 रकबा 0.35 है0, 2243 रकबा 0.42 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी दीपचन्द पुत्र रामकिशन हि0 1/6, पप्पू पुत्र रामकिशन हि0 1/6, रामेश्वर पुत्र रामकिशन हि0 1/6, लक्ष्मीदेवी पत्नि पूरनमल हि0 1/4, सुगनबाई पत्नि मंगतीराम हि0 1/4 जातियान जाटव सा0ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार लक्ष्मीदेवी पत्नि पूरनमल हि01/4 फौत हो चुकी है। जिसके वारिसान गैरसायल सं0 2 ता 5 प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सायलान एवं गैरसायल सं01 तथा खातेदार लक्ष्मीदेवी पत्नि पूरनमल हि01/4 के स्थान पर उसके वारिसान गैरसायल सं0 2 ता 5 काश्तकार हैं। इस प्रकार विवादित आराजीयात के सायलान एवं गैरसायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर रिकोर्डेड प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन खातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। जबकि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने पर सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित न होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 2242 रकबा 0.35 है0, 2243 रकबा 0.42 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 09.07.2025 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विदड्ढो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 27/10/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)